اِعلَامُ النَّاسِ بِحُکمِ الصَّلَاۃ مَکشُوفَ الرَّاسِ

मारुफ

नंगे सर नमाज़ पढ़ना कैसा?

मुफ्ती रज़ाउलहक़ अशरफी

अहलेसुन्नत रिसर्च सेंटर मुम्बई
सम्बद्ध अस्सैयद महमूद अशरफ दारुत्तहक़ीक़
वत्तस्नीफ, जामे अशरफ दरगाह किछौछा शरीफ
ज़िला अम्बेडकर नगर यूपी

सर्वाधिकार सुरक्षित है

नाम किताब: एलामुन्नास बेहुकमिस्सलाते मक्शूफर्रास (मारुफ) नंगे सर नमाज़ पढ़ना कैसा है?
लेखक: **मुफ्ती रज़ाउलहक़ अशरफी मिस्बाही**
अनुवादक: मौलाना मोहम्मद जाबिर हुसैन मिस्बाही
प्रकाशन सन: जनवरी, 2017 ई.
कुल पृष्ठ: 40
मुल्य: 40/-

मिलने के पते

- अस्सैयद महमूद अशरफ दारुत्तह्क़ीक़ वत्तस्नीफ जामे अशरफ किछौछा शरीफ, अम्बेडकरनगर, यू.पी.
- अहले सुन्नत रिसर्च सेंटर, जोगेश्वरी, मुम्बई महाराष्ट्र 9987517752
- मक्तबा फैज़ाने शरफ ख़ानक़ाह अशरफिया हसनिया सरकारे कलां जामे अशरफ किछौछा शरीफ यू.पी.
- अलअशरफ एकेडमी दिल्ली-9891105516
- अलअशरफ एकेडमी, राजमहल, साहेबगंज, झारखण्ड 8869998234
- मदरसा अशरफिया ग़रीबनवाज़ नई बस्ती राजमहल साहेबगंज झारखण्ड, 7764078380
- मक्तबा अलअशरफ 736, निकट खानकाह अशरफिया, खुशामदपुरा, मालेगाँव, महाराष्ट्र

अर्ज़े नाशिर

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अहले सुन्नत रिसर्च सेंटर मुम्बई (ARC) सम्बद्ध अस्सैयद महमूद अशरफ दारुत्तह़क़ीक़ वत्तस्नीफ जामे अशरफ किछौछा मुकद्दसा की जानिब से इससे पहले कई किताबें प्रकाशित होकर क़ारेईन-ए-किराम से सनदे कबूलियत प्राप्त कर चुकी हैं। फिरक़-ए-वहाबिया गुमराह (गैर मुक़ल्लेदीन व अहले ह़दीस) के रद् में '*तर्क रफेयदैन*', '*नमाज़ में नाफ के नीचे हाथ बांधना*', '*फिस्क़े यज़ीद*', '*लक़बे इमामे आज़म*', '*फिरक़-ए-मुर्जिया और वहाबिया*', '*तशह्हुद में उंगली हिलाना*' और '*शहादते इमामे हसन*' की प्रकाशन के बाद ज़ेरे नज़र रिसाला '*नंगे सर नमाज़ पढ़ना कैसा?*' प्रकाशित करने की सआ़दत हासिल हो रही है। कुछ उलमा अहले ह़दीस के फतावे और तहरीरों से माडर्न अहले ह़दीस (Modern Ahle Hadith) नौजवानों में नंगे सर नमाज़ पढ़ने का रुजहान आम होता जा रहा है। लिहाज़ा जरूरत महसूस हुई कि इस विषय पर भी एक तह़क़ीक़ी और मुदल्लल रिसाला प्रकाशित कर दिया जाए ताकि इस ग़लत फह्मी का इज़ाला कर दिया जाए कि नंगे सर नमाज़ पढ़ना बिला कराहत जाइज़ है।

अलहमदुलिल्लाह इस जामे रिसाले में किताब व सुन्नत की रौशनी में और आसारे सहाबा व ताबेईन और कुछ उलमाये अहले ह़दीस के अक़वाल से ये साबित किया गया है कि बिला उ़ज़्र नंगे सर नमाज़ पढ़ना खिलाफे सुन्नत है।

बानीये सेंटर हजूर काइदे मिल्लत गुले गुलज़ारे गौसियत महमूदुल मशाइख़ मौलाना अबुलमुख़्तार सैयद शाह मोहम्मद महमूद अशरफ अशरफी जीलानी की मज़बूत सरपरस्ती में सेंटर दौरे हाज़िर (वर्तमान काल) के तक़ाज़ों के मुताबिक़ दीन व सुन्नियत की ख़िदमात अंजाम दे रहा है। लिहाज़ा इसकी हमाजिहत तरक्की के लिए हर मुम्किन तआवुन पेश करना हर सुन्नी मुसलमान की दीनी व मिल्ली ज़िम्मेदारी है।

फक़त

अराकीने अहले सुन्नत रिसर्च सेंटर मुम्बई

दुआईया कलेमात

काइदे मिल्लत महमूदुल मशाइख़ मौलाना अलहाज अशशाह अबुल मुख़्तार सैयद मोहम्मद महमूद अशरफ अशरफी जीलानी

सज्जादा नशीं आस्ताना आलिया अशरफिया किछौछा शरीफ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ۔ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡ ھَدَانَا اِلٰی طَرِیۡقِ الۡمَعۡرِفَۃِ وَ الۡیَقِیۡنِ وَ الصَّلَاۃُ وَ السَّلَامُ عَلٰی رَسُوۡلِہٖ مُحَمَّدِ نِ الۡمُخۡتَارِ اَحۡمَدَ الۡاَوَّلِیۡنَ وَ الۡاٰخِرِیۡنَ الَّذِیۡ بُعِثَ فِی الۡاُمِّیِّیۡنَ لِاِظۡھَارِ اَشۡرَفِ الدِّیۡنِ مَحۡمُوۡداً وَّ رَحۡمَۃً لِّلۡعَالَمِیۡنَ وَ عَلٰی اٰلِہِ الطَّیِّبِیۡنَ الطَّاھِرِیۡنَ وَ اَصۡحَابِہِ الۡھَادِیۡنَ الۡمَھۡدِیِّیۡنَ اِلٰی یَوۡمِ الدِّیۡنِ۔

सम्पूर्ण मुसलमान वह है जो अपनी करनी और कथनी में रसूलुल्लाह सलल्लाहो अलैहि वसल्लम की सिद्धांतों पर कार्यरत हो। एक सत्य मुसलमान अपनी तबीयत पर शरीयत को वरीयता देता है। हम मुसलमानों को वही पसंद करना चाहिए जो अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा (साथियों) को पसंद था। अहादीस व आसारे सहाबा के अध्ययन से पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सलल्लाहो अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा (साथियों) को टोपी या अमामा (पगड़ी) के साथ नमाज़ पढ़ना पसंद था। कभी आपने और अपके सहाबा ने बिना किसी उज़्र (शरअी कारण) के नंगे सर नमाज़ नहीं पढ़ी, तो हम मुसलमानों को भी चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के इस पसंदीदा तरीके को अपनाएं।

कुरान हकीम में नमाज़ के वक़्त ज़ीनत (सजने संवरने) इख़्तियार करने की तरग़ीब दी गई है और नंगे सर नमाज़ पढ़ना ज़ीनत के खिलाफ है, इसी बिना पर चारों मज़ाहिब के फुक़्हा व मुज्तहेदीन (इमामों) ने इसको मक्रूह फरमाया है, लेकिन आजकल

फैशनपरस्त नौजवानों में नंगे सर नमाज़ पढ़ने का रुज्हान आम होता जा रहा है, इसलिए ऐसे अफराद की इस्लाह़ की ख़ातिर अहले सुन्त रिसर्च सेंटर की जानिब से ये मुख़्तसर जामे व मुफीद पुस्तक प्रकाशित की जा रही है। इसमें दलाइल से ये साबित किया गया है कि बग़ैर किसी उज़्र के सिर्फ सुस्ती व काहिली या फैशन के तौर पर नंगे सर नमाज़ पढ़ना मक्रूह व ख़िलाफे सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला पुस्तक के लेखक, अहले सुन्नत रिसर्च सेंटर के तमाम कारकुनान, उलेमा, मुहक़्क़ीन, अराकीन व मुआवेनीन को दोनों जहां की फलाह व कामयाबी अता फरमाए, सेंटर को तरक़्क़ी के पथ पर डाल दे और इसकी ख़िदमात को लोक प्रसिद्ध बनाए। आमीन

फक़त दुआ गो व दुआ जो

फक़ीर अशरफी व गदा-ए-जीलानी

अबुलमुख़्तार सैयद महमूद अशरफ अशरफी जीलानी

सज्जादा नशीं आस्ताना आलिया अशरफिया किछौछा शरीफ

24 रबीउल आख़िर 1438हि. मुताकिब 23 जनवरी 2017ई.

नंगे सर नमाज़ पढ़ना ख़िलाफे सुन्नत

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

बिला उज़्र नंगे सर नमाज़ पढ़ना खिलाफे सुन्नत है। किसी एक ह़दीस से भी साबित नहीं कि हुजूर रसूले अकरम सलल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कभी नंगे सर खुद नमाज़ पढ़ी हो या अपने किसी सहाबी को पढ़ने का हुक्म दिया हो और कोई एक रिवायत भी ऐसी नहीं जिससे ये साबित हो कि किसी सबाही ने बिला उज़्र नंगे सर नमाज़ पढ़ी हो।

रसूलुल्लाह सलल्लाहो अलैहि वसल्लम का त़रीक़ा ये था कि आम औक़ात में भी आप नंगे सर नहीं होते थे। सरे मुबारक पर या तो पगड़ी (अमामा) होती या टोपी होती। हालते एहराम के सिवा आम हालात जिसमें हालते नमाज़ भी दाखिल है, में आप नंगे सर नहीं रहते थे। आपका एक अमामा था जिसे आम तौर पर बाँधते थे, उसका नाम आपने 'अस्सहाब' रखा था। पगड़ी के नीचे टोपी पहनते थे। इब्नुल असीर अलजज़री लिखते हैं:

तर्जुमा: (अरबी की अस्ल इबारत उर्दू किताब में मौजूद है)"रसूलुल्लाह सलल्लाहो अलैहि वसल्लम अपनी हर इस्तेमाली चीज़ का नाम रखते थे। आपका एक अमामा था जिसको 'अस्सहाब' कहा जाता था। आप अमामा के नीचे सर से चिपकी रहने वाली टोपी पहनते थे"। (उसदुल ग़ाबा, भाग-1 पृष्ठ-37)

मुहद्दिस अली क़ारी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत को इब्ने असाकिर के हवाले से नक़्ल किया है:

ह़दीस-1 तर्जमा- "हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अंहुमा से

रिवायत है कि हुज़ूर सलल्लाहो अलैहि वसल्लम अमामा के नीचे टोपियाँ पहनते थे और कभी सिर्फ टोपी पहनते और कभी बग़ैर टोपी के अमामा बाँधते थे"। (मिर्कातुल मफातीह, भाग-7, ह. 2774)

मुल्ला अली कारी ने इस ह़दीस को ज़ईफ क़रार दिया है, और वह ह़दीस जिसमें ये कहा गया है कि हमारे और मुश्रेकीन के बीच फर्क़ ये है कि हम टोपी पर अमामा बाँधते हैं और मुश्रेकीन सिर्फ अमामा बाँधते हैं। इस ह़दीस की सनद भी अगर्चे ज़ईफ़ है लेकिन इसके बावुजूद उलमा ने ये फरमाया है कि बग़ैर टोपी के सिर्फ अमामा बांधना मुश्रेकीन का त़रीका है और सहीह ह़दीस में मुश्रेकीन की मुख़ालिफत का हुक्म दिया गया है, इसलिए बग़ैर टोपी के सिर्फ अमामा बांधना नहीं चाहिए, जैसा कि मुल्ला अली क़ारी ने मिरक़ात में लिखा है।

ह़दीस-2 इमामे तिर्मिज़ी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये रिवायत ज़िक्र की है कि रसूलुल्लाह सलल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सबसे ऊँचे दर्जे के शहीद की रिफअत व बलन्दी का ज़िक्र करते वक़्त अपने सर को ऊँचा उठाते हुए फरमायाः क़यामत के दिन लोग उसको यूँ सर उठा कर देखेंगे। ये इरशाद फरमाते वक़्त आप सलल्लाहो अलैहि वसल्लम की टोपी या रिवायत बयान करते वक़्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की टोपी गिर गई। (सुनन तिर्मिज़ी, भाग-3, पृष्ठ 229)

अगर सर से गिरने वाली टोपी हुज़ूर नबीये अकरम सलल्लाहो अलैहि वसल्लम की थी तो इस ह़दीस से ज़ाहिर है कि हुज़ूर आम हालात में नंगे सर नहीं रहते थे और अगर टोपी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की थी तो इससे ज़ाहिर होता है कि सहाब-ए-किराम आम हालात में नंगे सर नहीं रहते थे।

ह़दीस-3 सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सलल्लाहो अलैहि

वसल्लम से पूछा गया कि एहराम बांधने वाले का लिबास क्या हो? आपने जवाब दिया।

तर्जमा: तुम (एहराम में)न क़मीस़ पहनो न अमामा, न पाजामा, न टोपी, न खुफ (चमड़े के मोज़े)।

इस ह़दीस से मालूम हुआ कि सहाब-ए-किराम का लिबास आम हालात में क़मीस़, पाजामा, अमामा और टोपी होती थी। हालते नमाज़ भी इसमें दाख़िल है। अगर बग़ैर टोपी के नमाज़ पढ़ना मसनून होता तो खुद आपसे नंगे सर नमाज़ पढ़ना और सहाब-ए-किराम रज़िवानुल्लाहे तआला अलैहिम अजमईन को पढ़ने का हुकम देना साबित होता और जैसा कि हालते एहराम को आपने आम हालात से मुस्तसना करना सबित नहीं तो मालूम हुआ कि टोपी या अमामा के साथ नमाज़ पढ़ना मतलूब व मसनून है।

ह़दीस-4 तर्जमा: हज़रत वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया: मैंने नबी करीम सलल्लाहो अलैहि वसल्लम और आप के असहाब को देखा, जाड़े के मौसम में वह टोपियों और चादरों में नमाज़ पढ़ते थे। उनके हाथ चादरों के अन्दर होते और उन्हें सीने तक उठाते थे।

इस ह़दीस से मालूम हुआ कि रसूल सलल्लाहो अलैहि वसल्लम और सहाब-ए-किराम टोपियां पहनकर नमाज़ अदा करते थे।

इमामे तिबरानी ने फरमाया:

ह़दीस-4 तर्जमा: हज़रत मुग़ीरा बिन शोअबा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं दो ख़स़लतों के बारे में अब किसी और से नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें रसुल सलल्लाहो अलैहि वसल्लम में देखी हैं। एक खुफ़्फ़ैन (चमड़े के मोज़े) पर मसह करना और दूसरी इमाम का अपनी रइय्यत (प्रजा) की इक़्तदा में नमाज़ पढ़ना। एक सफर में हम रसूल सलल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक जगह हमने क़्याम किया। नबी करीम

सलल्लाहो अलैहि वसल्लम अपनी हाजत के लिए गए, जब वापस आए तो मैंने वुज़ू का पानी पेश किया। वुज़ू करते वक़्त आप जुब्बये मुबारक की आस्तीन न चढ़ा सके, क्योंकि आस्तीन तंग थी। आपने जुब्बे के अंदर की तरफ से हाथों को निकाला और धोया। पेशानी की मिक़्दार सर के अगले हिस्से का मसह किया फिर अमामा पर हाथ फेरा और खुफ़्फ़ैन (चमड़े के मोज़ों) पर मसह किया फिर हम काफ़ले के पास आए। लोग अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपना इमाम बनाकर नमाज़ पढ़ रहे थे। हमने उनके साथ एक रिकअत पाई। रसूल सलल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी रिकअ़त बाद में पूरी की।

तिबरानी की एक दूसरी रिवायत में ये भी है:

तर्जमा: रसूल सलल्लाहो अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से अब्दुर्रहमान बिन औफ पीछे हटने लगे तो आप सलल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इशारे से हुकम दिया कि अपनी जगह ठहरे रहो। फिर जो रिकअ़त हमने इमाम के साथ पाई, पढ़ी और जो छूट गई थी उसे बाद में पूरा किया।

इस ह़दीस से मालूम हुआ कि रसूल सलल्लाहो अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते वक़्त अमामा पहने हुए थे। वुज़ू करते वक़्त आपने अमामा सर से नहीं उतारा, जब कि ये वक़्त इसके लिए मुनासिब था तो ज़ाहिर यही है कि आपने नमाज़ में दाख़िल होते वक़्त भी अमामा को नहीं उतारा और अमामा के साथ नमाज़ अदा फरमाई।

ह़दीस-6 तर्जमा: इमामे अब्दुर्रज़ाका ने फरमाया कि हमें खबर दी अब्दुल्लाह बिन मुहर्रर ने, उन्होंने कहा मुझे ख़बर दी यज़ीद बिन असम ने, उन्होंने ने हज़रत अबू हुरैरा से सुना, वह फरमाते थे कि रसूल सलल्लाहो अलैहि वसल्लम अमामा के कोने पर सजदा फरमाते थे। इब्ने मुहर्रर ने कहा: मुझे सुलेमान बिन मूसा ने ख़बर

दी मकहूल के हवाले से उन्होंने नबीये अकरम सलल्लाहो अलैहि वसल्लम से इसी तरह। (मुसन्नफ अब्दुर्रज़ाक, भाग-1, पृष्ठ-400)
सालिह बिन हयवान ताबेई की मुरसल रिवायत यह है:

हदीस-7 तर्जमा: रसूले करीम सलल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एक व्यक्ति को देखा जो नमाज़ पढ़ रहा था। उसने पेशानी तक अमामा बांध रखा था और उसी पर सजदा कर रहा था। रसूल सलल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उसकी पेशानी से अमामा को हटा दिया। (सुनने कुबरा लिल बैहक़ी भाग-2, पृष्ठ-151)

अगर्चे ये रिवायत मुरसल है लेकिन जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक मक़बूल है। बैहकी ने फरमाया: ये मुरसल रिवायत मक़बूल मुरसल रिवायत की शाहिद है। वह शख़्स अमामा बांधकर नमाज़ अदा कर रहा था। उसे आप सलल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अमामा बांधने से मना नहीं फरमाया, सिर्फ ये किया कि पेशानी से अमामा को हटा दिया ताकि सजदा अच्छे तरीके से पेशानी पर हो। इससे पता चला कि अमामा के साथ नमाज़ अदा करना सहाबा का त़रीक़ा था और हुज़ूर को ये पसंद था वर्ना अमामा उतारकर ख़ाली सर नमाज़ पढ़ने का हुक्म देते।

हदीस-8 तर्जमा: हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है उन्होंने फरमाया: मैं ने रसूलुल्लाह सलल्लाहो अलैहि वसल्लम को वुज़ू करते हुए देखा आप क़त़री अमामा में थे। आपने अमामा के अंदर हाथ डालकर सर के अगले हिस्सा का मसह फरमाया और अमामा को नहीं उतारा। इस ह़दीस को अबू दाऊद ने तख़रीज किया है। (सुनने कुबरा भाग-1, पृष्ठ 100)
इससे ज़ाहिर यही है कि वुज़ू के बाद नमाज़ पढ़ते वकत आपने अमामा को नहीं उतारा क्यों कि वुज़ू का वक़्त, अमामा को उतारने का एक मुनासिब वक़्त था, जब वहां नहीं उतारा तो ज़ाहिर है कि नमाज़ के वक़्त भी नहीं उतारा होगा। नमाज़ में उतारने की

बात खिलाफ़े ज़ाहिर है लिहाजा इसके सबूत पर दलील चाहिए और इस पर कोई दलील मौजूद नहीं। इससे साबित हुआ कि हुजूर सलल्लाहो अलैहि वसल्लम आमामा के साथ नमाज़ अदा फरमाते थे, नंगे सर नहीं।

सहाबा व ताबेईन-ए-किराम, अमामा के साथ नमाज़ पढ़ते थेः

आसारे सहाबा व ताबेईन

1. इमामे अब्दुर्रज़ाक़ ने फरमायाः

तर्जमाः अब्दुल्लाह बिन ज़र्रार ने कहा कि मैंने हज़रत अनस रज़ीअल्लाहु अन्हु को देखा, शौचालय (बैतुलखला) से आए। वह सफेद, घुंडी लगी हुई टोपी पहने हुए थे। उन्होंने टोपी पर हाथ फेरा (सर पर मसह करने के बाद) और रोईंदार स्याह रंग के पाइताबे (जो कि खुफ/मोज़े की तरह थे) पर मसह किया फिर नमाज़ अदा की। सुफियान सौरी ने कहा कि टोपी अमामा की मंज़िल में है (टोपी के साथ नमाज़ पढ़ना भी मसनून है)।

2. इब्नुल मुंज़िर ने बयान कियाः

तर्जमाः हमसे ह़दीस बयान की इस्माईल बिन अम्मार ने, उन्होंने कहा हमसे ह़दीस बयान की यज़ीद बिन हारून ने, उन्होंने कहा हमें ख़बर दी आसिम ने, उन्होंने कहाः मैंने हज़रते अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा, आपने वुज़ू किया और अपने अमामा और खुफ़्फैन पर मसह किया फिर हमें फर्ज़ नमाज़ पढ़ाई (औसत फी सुनन व इजमा वल इख़्तिलाफ-1, पृष्ठ 468)

3. इमाम अब्दुर्रज़ाक़ फरमाते हैंः

तर्जमाः सौरी से मरवी है, आसिम के हवाले से उन्होंने कहाः मैंने अनस बिन मालिक को देखा, उन्होंने इस्तिंजा किया फिर खड़े हुए वुज़ू किया तो अपने अमामा पर मसह किया फिर उठे और फर्ज़ नमाज़ पढ़ी। (मुसन्नफ अब्दुर्रज़्ज़ाक)

4. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बवक्ते ज़रूरत एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने का तरीका अ़मली तौर पर बताया कि अगर किसी के पास सिर्फ एक ही चादर हो तो उससे नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा ये है कि चादर को गुद्दी की तरफ से बाँध दे। इससे इशारा मिलता है कि सिर्फ एक चादर मयस्सर हो तो भी नमाज़ अदा करने का मसनून त़रीक़ा ये है कि सर पर भी चादर का एक हिस्सा हो। चुनांचे सहीह बुख़ारी में है:

तर्जमा: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक एज़ार में नमाज़ पढ़ी जिसे उन्होंने गुद्दी की तरफ से (सर पर) बाँध लिया था। (सहीह बुख़ारी ह़दीस 352)

ह़दीस **3** में अमामा पर मसह तबअन (सर के मसह के बाद) था। रसूल अकरम सलल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पहले चौथाई सर का मसह फरमाया फिर अमामा पर हाथों को फेर लिया। जैसा कि मुसन्नफे अब्दुर्रज़ाक की इस रिवायत में इसकी वज़ाहत मौजूद है:

तर्जमा: इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक ने हम्माद से, उन्होंने क़तादह से रिवायत की कि नबी सलल्लाहो अलैहि वसल्लम अपने अमामा पर मसह फरमाते, इसका मतलब ये है कि आप सलल्लाहो अलैहि वसल्लम अपने हाथ को सर के पेशानी वाले हिस्से (अगले हिस्से) पर रखकर मसह करते फिर अमामा पर हाथ फेर लेते थे। (ऐज़न)

इस रिवायत में मज़ीद इसकी वज़ाहत मौजूद है:

तर्जमा: हिशाम बिन उरवा अपने वालिद हज़रत उरवा से रिवायत करते हैं कि वह (वुज़ू करते वक्त) अमामा को उतार लेते थे फिर सर का मसह करते थे। (ऐज़न)

इमाम बैहक़ी ने हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ये रिवायत ज़िक्र की है।

तर्जमा: नाफे ने इब्न उमर से रिवायत की है कि वह जब अपने सर का मसह करते थे तो टोपी को उठा लेते और सर के अगले

हिस्से पर मसह करते थे। (सुनने कुबरा-1, 101)

इस रिवायत को दारेकुतनी ने अपनी सुनन में ज़िक्र किया है।

इमामे बग़वी लिखते हैं:

तर्जमा: अक्सर अहले इल्म ने सर के बदले सिर्फ अमामा पर मसह को जाइज़ नहीं कहा। (तफ्सीरे बग़वी-2, 22)

इमाम फख़रुद्दीन राज़ी ने फरमाया:

तर्जमा: अमामा पर मसह को काफी समझना जाइज़ नहीं। हमारी दलील ये है कि आयते करीमा से ये साबित होता है कि सर पर मसह करना वाजिब है। (तफ्सीरुर्राज़ी-11, 305)

5. इमामे बैहक़ी ने अपनी सनद के साथ हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की:

तर्जमा: रसूल सलल्लाहो अलैहि वसल्लम के अस्हाब सजदा करते थे इस हाल में कि उनके हाथ उनके कपड़ों में होते और कोई आदमी अपने अमामे पर सजदा करता। (सुनने कुबरा लिलबैहकी-2, 153)।

इस रिवायत से ये साबित हुआ कि सहाब-ए-किराम अमूमन अमामा के साथ नमाज़ अदा फरमाते थे और टोपी के साथ पढ़ना भी साबित है।

6. सुनने अबू दाऊद में है:

तर्जमा: हज़रत अबू वायल रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है उन्होंने फरमाया मैंने रसूल सलल्लाहो अलैहि वसल्लम को देखा, आप ने नमाज़ के शुरू में दोनों हाथों को कानों तक उठाया। फिर सहाब-ए-किराम के पास आया तो उन्हें देखा कि नमाज़ के शुरू में सीने तक हाथ उठाते ओर उनके सरों पर टोपियाँ होतीं ओर बदन पर चादरें (सुनने अबू दाऊद, 193)

7. इब्ने अबी शैबा फरमाते हैं:

तर्जमा: हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है

कि हज़रत उमर रज़ीजअल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को ऐसी टोपी पहनकर नमाज़ पढ़ते हुए देखा जिसका अंदरुनी हिस्सा लोमड़ी के चमड़े का बना हुआ था। आपने उसको उतरवा दिया और फरमाया: क्या मालूम, हो सकता है इसकी जिल्द नापाक हो।

इस रिवायत से इतना तो ज़रूर साबित हुआ कि सहाब-ए-किराम के दौर में भी लोग टोपियों के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे।

8. इमामे बैहक़ी ने हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु की ये रिवायत ज़िक्र की है:

तर्जमा: मलहान बिन सौबान कहते हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा में एक साल हमारे अमीर रहे। वह हर जुमा को स्याह अमामा पहनकर खुत्बा देते थे। (सुनने कुबरा-33, 350)

इस रिवायत से ज़ाहिर है कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु जुमा की नमाज़ अमामा पहनकर पढ़ाया करते थे। क्योंकि ये एहतेमाल कि अमामा के साथ खुत्बा देकर नमाज़ के वक़्त अमामा उतार देते थे, ज़ाहिर के खिलाफ और बे दलील है।

9. अयाज़ बिन अब्दुल्लाह अलकरशी की मुरसल रिवायत है:

तर्जमा: नबी सलल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एक शख़्स को अमामा के पेंच पर सजदा करते हुए देखा तो इशारे से हुक्म दिया कि अमामा को ऊपर उठाकर पेशानी को ज़ाहिर कर दो (और पेशानी पर सजदा करो) (ऐज़न)

10. हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु अमामा के साथ नमाज़ पढ़ते थे। इब्ने अबी शैबा ने अपनी सनद के साथ नक़्ल फरमाया:

तर्जमा: हज़रत उबादा बिन सामित से मरवी है कि वह जब नमाज़ के लिए खड़े होते तो अमामा को पेशानी से हटाकर पेशानी को ज़ाहिर कर देते थे। (ताकि पेशानी पर सजदा हो) मुसन्नफ-1, 240)

11.मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ही में है:

तर्जमा: हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया: जब कोई नमाज़ पढ़े तो पेशानी से अमामा को हटा ले। (ऐज़न)

12.उसी में है:

तर्जमा: हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अमामा के पेंच पर सजदा नहीं करते थे। (ऐज़न)

मुहद्दिस अब्दुर्रज़्ज़ाक ने इब्राहीम नख़ई की रिवायत नक़्ल की कि लोग (सहाबा व ताबेईन) मुख़्तलिफ प्रकार की टोपियों के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे। फरमाते हैं:

13. तर्जमा: इब्राहीम नख़ई ने कहा कि लोग (मसातीक़) (मख़्सूस शामी जुब्बों) और ब्रानिस और त़्यालिस (मख़्सूस टोपियों) में नमाज़ अदा करते थे। (सर्दी के सबब) उन जुब्बों से हाथ नहीं निकालते थे। (मुसन्नफ अब्दुर्रज़्ज़ाक-1, 401)

मुहद्दिस अबू नोऐम ने हिशाम की रिवायत ज़िक्र की है। हिशाम ने कहा:

14. तर्जमा: मैंने मंसूर बिन ज़ाज़ान (ताबेई) के पहलू में जुमे के दिन वासित़ की जामे मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। उन्होंने दो ख़त्म कुरआन पढ़ा और तीसरी बार तव्वासीन (सुरह ता.सी.मीम.) तक। (हिलियतुल औलिया में सुरह नहल है) वह बारह गज़ का अमामा पहने हुए थे। आंसू पूंछते-पूंछते उनका अमामा भीग गया। फिर उन्होंने उसको अपने सामने रख दिया। (हिलयतुल औलिया-3, 57)

इस रिवायत को अल्लामा ज़हबी ने भी अपनी किताब सेयरे आलामुन्नुबला में ज़िक्र किया है।

मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है:

15. तर्जमा: हज़रत हसन बसरी से मनकूल है कि वह अमामा के पेंच पर सजदा करते थे। (मुसन्नफ-1, 239)

मकहूल ताबई जो मुस्लिम, अबू दाऊद और नसई, इब्ने माजा के रावी हैं

16. मुसन्नफ इब्ने शैबा ही में है:

तर्जमा: मकहूल से मनकूल है कि वह अमामा के बीच पर सजदा करते थे। मोहम्मद बिन राशिद कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों करते हैं तो उन्होंने जवाब दिया: मैं कंकरियों की ठंडक से अपनी आँख को नुकसान पहुंचने का खौफ महसूस करता हूँ। (ऐज़न)

17. इमाम बुख़ारी ने तालीक़न ये रिवायत नक़्ल की:

तर्जमा: हज़रत हसन बसरी ने फरमाया कि लोग (सहाबा) अमामा और टोपी पर (अमामा व टोपी पहने हुए) सजदा करते थे। (सहीह बुख़ारी-1, 86)

18. इब्राहीमे नख़ई ताबेई ये पसंद करते थे कि नमाज़ी अमामा को पेशानी से हटा ले। चुनांचे मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में है:

तर्जमा: इब्राहीम नख़ई से मरवी है वह अमामा वाले के लिए ये पसंद करते थे कि पगड़ी के पेंच को पेशानी से हटा ले। (मुसन्नफ-1, 240)

19. हज़रत मोहम्मद इब्न सीरीन ताबेई अमामा के पेंच पर सजदा करने को नापसंद समझते थे। इब्ने अबी शैबा फरमाते हैं:

तर्जमा: इब्ने सीरीन से मरवी है कि उन्होंने अमामा के पेंच पर सजदा करने को नापसंद समझा। (ऐज़न)

फायदा:

अगर्चे अमामा के पेंच और टोपी के किनाने पर सजदा करना जाइज़ है लेकिन बेहतर ये है कि खुली पेशानी पर सजदा करे।

मज़कूरा रिवायतों से मालूम हुआ कि सहाब-ए-किराम और ताबेईने इज़ाम भी खुले सर नमाज़ नहीं पढ़ते थे।

मुन्केरीन का मौक़फ़

अहले ह़दीस ग़ैर मुक़ल्लेदीन के कुछ उलमा गर्चे नंगे सर नमाज़ पढ़ने को नापसंदीदा अ़मल क़रार देते हैं लेकिन इस मसले में भी वह अह़नाफ़ को लअ़न तअ़न का निशाना बनाते हैं और उन पर ये इलज़ाम रखते हैं कि वह टोपी या अमामा के साथ नमाज़ पढ़ने को फर्ज़ व वाजिब समझते हैं। अह़नाफ़ पर वहाबियों की ये झूठी तुहमत है। फिक़्हे हनफी की तमाम मोअतबर किताबों में है कि सर ढाँपकर नमाज़ पढ़ना मसनून व पसंदीदा है। अगर कोई सुस्ती व काहिली से खुले सर नमाज़ पढ़े तो ये मक्रूह है।

चुनान्चे फिक़्हे हनफी की मोअतबर किताब अलमुहीतुल बुरहानी में है:

तर्जमा: काहिली की बुनियाद पर खुले सर नमाज़ पढ़ना मक्रूह है। अगर आजिज़ी व ख़ुशू के तौर पर ऐसा किया तो कोई हर्ज नहीं बल्कि अच्छा है। ऐसा ही शैख़ुल इस्लाम अबूल हसन सग़दी से मनक़ूल है। (मुह़ीते बुरहानी-1, 377)

अलइनाया शरहुल हिदाया में है:

तर्जमा: तीन कपड़ों तहबन्द, कमीज़ और अमामा में नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है। (अलइनाया-2, 447)

दुररुलहुक्काम शरहे ग़ुररुल अहकाम में है:

तर्जमा: सुस्ती और लापरवाही से खुले सर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। अगर इन्किसारी के लिए हो तो मकरूह नहीं है। (बाबुल मक्रूहात-1, 109)

हासिल कलाम ये है कि अह़नाफ़ के नज़दीक नमाज़ में सर को ढ़ापना फर्ज़ या वाजिब नहीं, लेकिन वहाबी अहले ह़दीस, अह़नाफ़ पर इस बात की तुहमत लगाते हैं। हक़ीक़त ये है कि जब फिरक़-ए-अहले ह़दीस के माडर्न नौजवान और हट्धर्म अवाम नंगे

सर नमाज़ पढ़ते हैं और अहले सुन्नत के लोग उनको इससे दूर रहने की बात कहते हैं तो वह उलटे उन हीं पर सवाल ठोंकते हैं कि क्या नमाज़ में टोपी लगना फर्ज़ या वाजिब है? मस्जिद के आम मुक़्तदी ऐसी कट् हुज्जती करने वाले वहाबियों को अपने-अपने अंदाज़ में हस्बे हाल समझाते बुझाते हैं और उनकी हट्धर्मी पर अपनी नाराज़गी का इज़हार करते हैं। दरअसल ये नाराज़गी उनकी कट्हुज्जती और ह्टधर्मी का नतीजा है, कि नंगे सर नमाज़ पढ़ने को गोया वह सुन्नत समझते हैं। अगर महज़ जाइज़ होने की वजह से वह नंगे सर नमाज़ पढ़ने की ज़िद करते हैं तो क़मीज़ पहनना कहां वाजिब या फर्ज़ है? नमाज़ में सत्र छुपाना फर्ज है। सिर्फ एक लुंगी या सिर्फ पाजामा में भी पढ़ना जाइज़ है, तो ऐसे माडर्न नमाज़ियों को चाहिए कि सिर्फ एक लुंगी या सिर्फ पाजामा पहनकर नमाज़ पढ़ा करें। पाजामा भी क्या वाजिब है, घुटनों तक का एक चड्डा ही पहन लिया करें। बल्कि कुछ लोगों के नज़दीक रान भी छुपाना वाजिब नहीं तो एक चड्डी ही पर नमाज़ अदा कर लिया करें। तहज़ीबे फरंग की खामोश ताईद का हुनर सीखें कोई वहाबी मौलवियों से:

उम्मीदे हूर ने सब कुछ सिखा रखा है वाइज़ को
ये हज़रत देखने में सीधे सादे भोले भाले हैं

सुन्नियों को हदफे मलामत बनाते हुए एक वहाबी आ़लिम (अबू अदनान मोहम्मद मुनीर क़मर नवाबुद्दीन) लिखते हैं:

हमारे यहाँ इस सिलसिले में बड़े तशद्दुद (कट्टरपंथ) से काम लिया जाता है। अगर कोई नंगे सर नमाज़ पढ़ ले तो उसे बड़ी ख़शमगीं आँखों (गुस्से) से ताड़ा जाता है, जैसे कि उससे कोई बहुत ही घिनावना जुर्म सरज़द हो गया, और उस शख़्स को बड़ा बुरा समझा जाता है। जैसे कि उसने कोई गुनाहे कबीरा का एलानिया इर्तिकाब कर लिया हो। (टोपी व पगड़ी से या नंगे सर नमाज़ पृष्ठ 7)

राक़िम अर्ज़ करता है कि नमाज़ में सुस्ती व काहिली की बुनियाद पर बल्कि जान बूझकर उसे एक मामूली मसनून त़रीक़ा समझकर नंगे सर नमाज़ पढ़ना क्या बुरा अ़मल नहीं? जब वहाबियों को खुद इक़रार है कि सुस्ती व काहिली की बुनियाद पर नंगे सर नमाज़ पढ़ना नापसंदीदा अ़मल है तो क्या नापसंदीदा अ़मल अच्छा होता है? फिर उससे बाज़ रहने की तलक़ीन करने पर उलटे तलक़ीन करने वालों से उलझाव करना और इस्लाह कबूल न करके हट्धर्मी पर उतर आना जैसा कि आज कल के कुछ अहले ह़दीस नौजवान करते हैं, क्या ये और भी बुरा नहीं। अगर ऐसे फैशन परस्त और कट्टरवाद अहले ह़दीस नौजवानों को नंगे सर नमाज़ पढ़ने की वजह से अहले सुन्नत के अफराद खशमगीं आँखों से देखते हैं तो क्या बुरा करते हैं? इसे शिद्दत पसंदी कहना जमाअ़ती तअस्सुब व बेजा तरफदारी के साथ-साथ नंगे सर नमाज़ पढ़ने वालों को खुली छूट देना और एक सुन्नत से बेज़ार करना है।

अहले ह़दीस मौलवी मज़ीद लिखते हैं: कुछ लोग शिद्दते इहसास में इस हद् तक मुब्तला हो जाते हैं कि पास कोई रोमाल या टोपी न हो ओर मस्जिद से भी किसी चीज के मयस्सर न आने पर कमीज़ के बटन खोल लेते हैं ओर कालर उठा कर उसे गले की बजाए सर पर रख लेते हैं ताकि सर नंगा न रहे। (ऐज़न)

राक़िम (लेखक) कहता है कि वहाबी मौलवी की ये मनगढ़त बात है। अहले सुन्नत के लोग जब नमाज़ को आते हैं तो टोपी या कुछ अफराद रुमाल वगैरा सर पर रखने के लिए साथ ले आते हैं। जो लोग नमाज़ के पाबंद होते हैं वह अपने पास टोपी, रुमाल भी रखते हैं। अगर कभी ऐसा हो गया कि टोपी या रुमाल वग़ैरा लाना कोई शख़्स भूल गया तो किसी दूसरे नमाज़ी से रुमाल मांग लेता है और कुछ न मिलने की सूरत में नंगे सर नमाज़ पढ़ लेता है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नज़र नहीं आया जिसने टोपी वगैरा

न मिलने की सूरत में अपने कुर्ते का का कालर उठाकर सर पर रख लिया हो और ये मुम्किन भी नहीं कि कुर्ते का कालर उठाकर सर पर रख लिया जाए और उसे सर पर रखकर नमाज़ पढ़ी जाए। वहाबी मौलवी ने जो कुछ लिखा है वह लोगों को गुम्राह करने के लिए है। ये उनका एक मनगढ़त मफ़रूज़ा है, जिसका ह़क़ीक़त से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर मान भी लिया जाए कि किसी शख़्स ने अपनी लाइल्मी और नादानी से ऐसा किया ही हो तो क्या उसके इस अ़मल को दलील बनाकर अहले सुन्नत को लअ़न तअ़न करना दुरुस्त है और ये कहना सह़ीह़ है कि अहले सुन्नत के लोग नमाज़ में सर ढाँपने को वाजिब समझते हैं? किसी एक जाहिल आदमी के अ़मल को देखकर उसे अहले सुन्नत के उलमा और ज़िम्मेदार अफराद का अ़मल क़रार देना कौनसी दयानतदारी है?

बात दर असल ये है कि अहले ह़दीस जो कुछ कहते हैं वह विशेष तौर तर अह़नाफ़ की दुश्मनी में कहते हैं। चुनांचे एक अहले ह़दीस आ़लिम ने अपनी ही जमाअ़त के बड़े आ़लिम शैख़ नासिरुद्दीन अलबानी पर इसलिए नाराज़गी ज़ाहिर की है कि नंगे सर पढ़ने की कराहत के मसले में उनका वही मौक़फ है जो अह़नाफ़ का है।

देखिए शैख़ अबू ख़ालिद सुल्लमी एक सवाल के जवाब में लिखते हैं:

तर्जमा: मेरा इरादा ये है कि यहां पर अपनी राय पेश करूँ जो मुहद्दिसे शाम इमाम मोहम्मद नासेरुद्दीन अलबानी की राय से मुख़्तलिफ़ है। उनकी राय ये है कि नमाज़ में सर को नंगा रखना मक्रूह (घृणित) है। उनका तर्क ये है कि ये अगलों (सलफ) के नज़दीक अच्छी स्थिति नहीं। ये अजनबी स्थिति काफिरों से इस्लामी शहरों में आई है। अलबानी ने उस ह़दीस को ज़ईफ (सनद के आधार पर जो कम्ज़ोर हो) कहा है, जिसे इब्ने असाकिर ने इब्ने

अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि रसूल सलल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कभी कभार अपनी टोपी को उतारकर सामने सुत्रा (नमाज़ के लिए पर्दा) बना लिया। आप उनकी पूरी बात तमामुलमिन्ह पृष्ठ 164-165 में देखें। अलबानी की तरह मुताख़्ख़ेरीने अह्नाफ़ (बाद के हनफी विद्वानों) भी खुले सर नमाज़ को मक्रूह कहते हैं। बल्कि हिन्दोपाक के लोग उस व्यक्ति के सर पर चपत लगाते हैं जो खुले सर नमाज़ पढ़ता है, और बड़ी नापसंदीदगी के साथ उसके सर पर कोई कपड़ा रख देते हैं। मैं और मेरे अ़लावा दूसरे लोगों का भी मानना है कि शैख़ अलबानी बावुजूद इसके कि उन्हें हनफी फ़िक़्ह में तफक़्कुह कम है, उनका झुकाव हमेशा अधिकांश मसाइल में अह्नाफ़ के अक़्वाल (बातों) की तरफ रहता है। हमारे कुछ अहबाब ने हनफियाते अलबानी (वह हनफी मसाइल जिन्हें अलबानी ने तस्लीम किया है) को इक्ट्ठा करने की कोशिश की है। हम जल्द ही अपनी वेबसाइट पर एक शीर्षक जारी करेंगे ताकि हनफियाते अलबानी के विषय पर विचार-विमर्श के लिए लोग इसमें हिस्सा लें और जहां तक हो सके उन मसाइल को जमा किया जाए। (अरशीफ मुल्तक़ा अहले ह़दीस 64-94, बहवाला मकतब-ए-शामिला)

पाठक को अंदाज़ा हो गया होगा कि पक्षपातपूर्ण अहले ह़दीस मौलवियों को अह्नाफ़ से कितना द्वेष व दुश्मनी है। ये अहले ह़दीस मौलवी अपने मोहद्दिस व इमाम पर सिर्फ इस वजह से गुर्रा रहे हैं कि उन्होंने नंगे सर नमाज़ पढ़ने के मसले में हनीफियों का समर्थन किया है।

नंगे सर नमाज़ पढ़ने से नमाज़ फासिद नहीं होती (नहीं टूटती), इसका ये मतलब नहीं कि लोगों को नंगे सर नमाज़ पढ़ने पर प्रोत्साहित किया जाय। हमारा मुन्केरीन (अहले ह़दीस) से मतभेद इस बात पर है कि वह नंगे सर नमाज़ अदा करने का नौजवानों को

गोया बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि अहले ह़दीस की मस्जिद में हर नमाज़ में कुछ लोग नंगे सर नमाज़ अदा करते हुए नज़र आते हैं। क़्यामे हैदाराबाद के दौरान राक़िम (लेखक) ने कई मस्जिदों में खुद अपनी आंखों से इसका मुशाहदा (निरीक्षण) किया है। अहले सुन्नत व जमाअ़त के लोग नंगे सर नमाज़ पढ़ने को ख़िलाफे सुन्नत समझते हैं, इसलिए इससे खुद भी परहेज़ करते हैं और दूसरों को भी परहेज़ करने की हिदायत देते हैं। जो लोग नंगे सर नमाज़ पढ़ने को अपनी आ़दत बनाते हैं और इसमें कुछ हर्ज नहीं समझते उन्हें अहले सुन्नत व जमाअ़त के लोग समझाने की कोशिश करते हैं, अगर वह नहीं मानते और अपने इस ख़िलाफे सुन्नत अ़मल ही को सहीह समझते हैं और इस पर कट् हुज्जती करते हैं तो अहले सुन्नत उसको बुरा समझते हैं, लेकिन वहाबिया इसको शिद्दत पसंदी (चरमपंथ) कहते हैं। क्या ख़िलाफे सुन्नत अ़मल वहाबिया के नज़दीक बुरा नहीं और क्या कोई शख़्स ख़िलाफे सुन्नत अ़मल को ही सहीह समझे और उसी पर खुद चले और दूसरों को चलाए तो उसे बुरा समझना और उस पर नाराज़गी व्यक्त करना शरीयत की दृष्टि से ग़लत है?

एक वहाबी मौलवी साहब अपनी जमाअ़त (लुत्फ की बात ये है कि उन्होंने ने अपनी जमाअ़त को अहले सुन्नत से खारिज लिखा है।) का मौक़फ बयान करते हुए लिखते हैं:

"तीसरा गिरोह अलहे ह़दीस का है जिनके नज़दीक नंगे सर नमाज़ तो हो जाती है, विशेष तौर पर जब ये बतौरे ज़रूरत हो। लेकिन महज़ सुस्ती व लापरवाही की बिना पर नंगे सर नमाज़ पढ़ने को फैशन ही बना लेना, उसे वह भी पंसद नहीं करते। बल्कि ह़नफ़ियों की तरह इस सूरत को वह भी गैर मुस्तहसन (ठीक नहीं) या मक्रूह व नापसंदीदा क़रार देते हैं। (टोपी व पगड़ी से या नंगे सर नमाज़ पृष्ठ-19)

जब नंगे सर नमाज़ पढ़ने को ह़नफ़ियों की तरह अहले ह़दीस हज़रात भी नपसंदीदा व मक्रूह समझते हैं तो फिर इस मसले में अहले सुन्नत पर वह गरजते और बरसते क्यों हैं? अहले ह़दीस नौजवानों में इसका रिवाज प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वहाबी उलमा उन्हें इससे रोकते क्यों नहीं है? अगर अहले सुन्नत के लोग उन्हें रोकते हैं तो सुधार प्राप्त करने के बजाए वह ये कहते हैं कि क्या इससे नमाज़ नहीं होती? जब नमाज़ हो जाती है तो फिर क्यों न पढ़ें? इससे अंदाज़ा होता है कि वहाबी मौलवी उन्हें इसकी छूट देते हैं, वर्ना वह बहस नहीं करते।

प्रसिद्ध अहले ह़दीस आ़लिम मौलाना सैयद मोहम्मद दाऊद ग़ज़नवी का एक फत्वा साप्ताहिक 'अल-ऐतेसाम' पत्रिका लाहौर जिल्द-11, क्रमांक 18 में प्रकाशित हुआ है। उसमें वह लिखते हैं: "अगर फैशन की वजह से नंगे सर नमाज़ पढ़ी तो मक्रूह होगी। और आजिज़ी व विनम्रता या अपने आपको कम्तर आंकने के ख़्याल से (नंगे सर) पढ़ी तो ये नसारा के साथ तशब्बुह (ईसाइयों की तरह) होगा।"

सुस्ती व आलस्य की बिना पर नंगे सर नमाज़ पढ़ना मक्रूह है इससे तो हमें इत्तेफाक़ है लेकिन आजिज़ी के तौर पर पढ़ने में नसारा के साथ तशब्बुह है इसके सुबूत पर मौलाना ग़ज़नवी साहब ने कोई दलील पेश नहीं की, इसलिए मौलाना का ये अपना ज़ाती ख़्याल है। अब हम मुन्केरीन के दलाइल (तर्क) और उनके जवाबात को विस्तार से उल्लेख करते हैं:

मुन्केरीन के शुब्हात और उनके जवाबात

शुबह नं. 1: मुन्केरीन ने अपने मौक़फ़ के सुबूत पर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ीअल्लाह अन्हु की इस रिवायत को पेश किया है जिसको इब्ने मंज़ूर अफ़रीक़ी ने उल्लेख किया है:

तर्जमाः रसूल सलल्लाहो अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ते वक़्त कभी-कभार अपनी टोपी को उतार कर अपने सामने सुत्रा बना लिया (पर्दा) (मुख़्तसर तारीख़ दिमश्क-2, 364)

शुबह का जवाबः तारीख़े दमिश्क़ में ये रिवायत नहीं मिली, मुख़्तसर तारीख़े दमिश्क़ में इब्ने मंजूर ने इसे दर्ज किया है। मुल्ला अली क़ारी, सियूती, जूबैदी वग़ैरा ने इसको इब्न असाकिर के हवाले से ज़िक्र किया है। सबने हज़रते इब्ने अब्बास रज़ीअल्लाह अन्हु से रिवायत की है लेकिन किसी ने उसकी सनद ज़िक्र नहीं की। इस ह़दीस की न कोई मुताबे (सहायक) रिवायत है और न शाहिद, बल्कि सह़ीह़ अहादीस इसके ख़िलाफ हैं। स़ह़ीह़ अहादीस से साबित है कि हुजूर अमामा या टोपी के साथ नमाज़ अदा फरमाते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की जानिब मंसूब ये ह़दीस बेसनद भी है और उसका मतन (शब्द) अहादीसे स़ह़ीह़ा के उलट भी, लिहाज़ा इस ह़दीस से ये दलील पकड़ना ग़लत़ है कि हुजूर सलल्लाहो अलैहि वसल्लम नंगे सर नमाज़ अदा फरमाते थे लिहाज़ा बिला कराहत नंगे सर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है।

वर्णित ह़दीस के ताल्लुक़ से उलमा के ख़्यालात उल्लेख किये जाते हैंः

इब्नुस्सुबकी ने कहाः **(तर्जमा)** "मैंने इसकी सनद नहीं पाई" (तख़्रीज अहादीस अह्याए उलूमुद्दीन-3, पृष्ठ 1452)

ज़ैनुद्दीन इब्नुलइराक़ी ने ये ह़दीस और एक दूसरी ह़दीस नक़्ल करने के बाद दोनों के ताल्लुक़ से लिखाः **(तर्जमा)** "दोनों की सनद ज़ईफ है" (तख़्रीज अहादीस अह्याए-1, पृष्ठ 861)

मशहूर अहले ह़दीस आ़लिम शैख़ नासेरुद्दीन अलबानी लिखते हैंः

तर्जमाः उल्लेख किये गए ह़दीस को इस बात की दलील बनाना स़हीह नहीं कि नंगे सर नमाज़ पढ़ना मक्रूह नहीं। इसकी दो

वजहें हैं। एक ये है कि ये ह़दीस ज़ईफ है। उसके ज़ईफ होने की यही दलील काफी है कि इसको इब्ने असाकिर के सिवा किसी ने रिवायत नहीं किया है। मैंने इसके कमज़ोर होने के कारण को सिलसिलतुल अहादीसुज़्ज़ईफा 2538 में स्पष्ट कर दिया है। दूसरा कारण ये है कि अगर ये ह़दीस सहीह हो फिर भी इससे ये साबित नहीं होता कि हमेशा और बिला ज़रूरत नंगे सर नमाज़ पढ़ना बग़ैर कराहत के जाइज़ है। क्योंकि इस ह़दीस से ये ज़ाहिर होता है कि कभी अगर सुत्रा (आर्ड) के लिए कोई चीज़ प्राप्त नहीं हुई तो आप सलल्लाहो अलैहि वसल्लम ने टोपी को सामने रख लिया। क्योंकि सुत्रा बनाना ज़्यादा अहम है, इसलिए कि इस ताल्लुक़ से अहादीस वारिद हैं। (तमामुलमिन्नह फी तालीक़े फिक्हिस्सुनह-1, 164)

मशहूर अहले ह़दीस आलिम शैख़ अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी लिखते हैं:

तर्जमा: हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत की सनद मुझे मालूम नहीं। लिहाज़ा पता नहीं ये दलील बनने के क़ाबिल है भी या नहीं। (तुहफतुल अह्वज़ी-5, 393)

खुसलासा ये है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ीअल्लाहु अन्हुमा की ह़दीस बे सनद और कमज़ोर (ज़ईफ) होने की वजह से मुस्नद स़हीह़ अहादीस व आसार के मुक़ाबले में क़ाबिले हुज्जत नहीं, और उसको स़हीह़ मान भी लिया जाए तो भी इससे यह साबित नहीं होता कि बगैर किसी अहम कारण के सुस्ती व काहिली या फैशन के तौर पर नन्गे सर नमाज़ पढ़ना बिना कराहत के जाइज़ है। हुज़ूर ने कभी ऐसा क्या होगा कि कोई मुनासिब चीज़ सुत्रा के लिए नहीं मिली हो तो इस मक़सद से टोपी को ही सामने रख दिया होगा कि कोई गुज़रने वाला बेधड़क सामने से न गुज़र जाए। जब गुज़रने वाला सामने टोपी को देखेगा तो सामने से न गुज़रेगा।

इसका ये मतलब नहीं कि टोपी सुत्रा बन सकती है। और ये नहीं कि अब लोग सर से टोपी उतारकर उसी को सुत्रा बनाने लगें।

शुबह नं. 2: तर्जमा: हमसे ह़दीस बयान की अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ज़ुहरी ने, उन्होंने कहा हम से ह़दीस बयान की सुफियान बिन उ़ऐना ने, उन्होंने कहा मैंने शरीक को देखा, उन्होंने असर के वक़्त एक जनाज़े की नमाज़ पढ़ाई तो अपनी टोपी को उतार कर अपने सामने रख दिया। (सुनने अबी दाऊद 1/451)

शरीक ने लोगों को नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई तो नन्गे सर। क्योंकि उन्होंने अपनी टोपी को उतार कर सामने रख दिया था। इससे मालूम हुआ कि नन्गे सर नमाज़ पढ़ना मक्रूह नहीं।

शुबह का जवाब: अपनी तरफ से कुछ कहने से बेहतर ये है कि खुद अहले ह़दीस व वहाबी आ़लिम की बात ही इस शुबह के जवाब में नक़्ल कर दी जाए। जमाअते अहले ह़दीस के मोअ़तबर आ़लिम मौलाना इस्माईल सलफी साहब ने इस दलील को कई कारणों से बात़िल (ग़लत) क़रार देते हुए ये लिखा:

प्रथम कारण- (ये दलील बातिल है) इसलिए कि ये न तो मरफू ह़दीस (नबी की हदीस) है कि इसमें नबीये अकरम सलल्लाहो अलैहि वसल्लम का कोई अ़मल बयान हुआ हो और न ही ये किसी सहाबी का असर (सहाबी की बात या काम) है, बल्कि ये सहाबा के बाद वालों में से किसी का असर है।

द्वितिय कारण: ये कि ये भी मालूम नहीं कि ये शरीक कौन बुज़ुर्ग हैं, शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी नमर ताबई हैं या कि शरीक बिन अब्दुल्लाह तबे ताबई (ताबई के बाद) हैं और इन दोनों में चाहे कोई भी क्यों न हो दोनों में ही कमो बेश कमज़ोरी (ज़ोअफ) पायी जाती है। लिहाज़ा ये असर भी ज़ईफ हुआ और फिर ये कि ये उनका अ़मल है जो किसी तरह क़ाबिले हुज्जत (दलील बनाने लाइक़) नहीं।

तृतीय कारणः इसलिए भी इस असर को दलील नहीं बनाया जा सकता कि इमाम अबू दाऊद ने इस असर (ख़बर) को अपनी सुनन के "बाबुलख़त् इज़ा लम यूजद असा" के तहत वारिद किया है कि जब असा न हो तो सुत्रा के लिए लकीर खींचने का ब्यान। इमाम साहब के अंदाज़े बयान से ज़ाहिर होता है कि यहां किसी अहम कारणवश सर नंगा रखा गया है क्योंकि जब उन्हें सुत्रा के लिए कोइ चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने सुत्रा का काम टोपी से ले लिया। ज़रूरत और उज़्र से सर नंगा रखा जाए तो इसमें बहस नहीं। बहस इसमें है कि फैशन और आ़दत के तौर पर नमाज़ में सर नन्गा रखना कहां तक दुरुस्त है? (ब-हवाला टोपी या पगड़ी से या नन्गे सर नमाज़ पृ.29)

मौलाना इस्माईल सल्फी साहब की मज़कूरा सारी बातों से अह़नाफ़ को इत्तेफाक नहीं अह़नाफ़ के नज़दीक न टोपी सुत्रा बन सकती है ओर न ही कोई ख़त (लकीर) क्योंकि सहीह अहादीस में कजावा (मुअख़्खरतुर्रहल) जिसकी लम्बाई एक ग़ज़ से कम नहीं होती थी, से छोटी किसी चीज़ को सुत्रा बनाने का ज़िक्र नहीं। यहाँ पर मौलाना इस्माईल सलफी की बात को इसलिए नक़्ल किया गया है कि उन्होंने भी असरे मज़कूर को बिला ज़रूरत नन्गे सर नमाज़ पढ़ने की दलील नहीं माना है और असरे (खबर) मज़कूरा से बिला कराहत नन्गे सर नमाज़ पढ़ने के जवाज़ पर इस्तिदलाल को बातिल क़रार दिया है। लिहाज़ा इन माडर्न अहले ह़दीस वहाबी हज़रात को अहले सुन्नत के उलेमा की न सही अपने ही आ़लिम की बात मान लेनी चाहिए और नन्गे सर नमाज़ पढ़ने की आ़दत छोड़ देनी चाहिए।

शुबह नं. 3: इब्ने अदी ने अलकामिल में ये मरफूअ ह़दीस ज़िक्र की है:

तर्जमाः हमसे ह़दीस बयान की हसन बिन सुफियान ने, उन्होंने

कहा हम से ह़दीस बयान की हमीद बिन कुतैबह ने, उन्होंने कहा हम से ह़दीस बयान की अबू अय्यूब दमिश्की ने, उन्होंने कहा कि हमसे ह़दीस बयान की बक़िया ने, उन्होंने कहा कि हम से ह़दीस बयान की मुबश्शिर बिन उबैद ने उनहोंने हकम बिन उतैबा से, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से, उन्होंने हज़रत अली बिन अबी त़ालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु से उन्होंने रसूल सलल्लाहो अलैहि वसल्लम से। आपने फरमायाः तुम मस्जिद में आओ नंगे सर और सरों को ढ़ाँप कर, यक़ीनन अमामे मुसलमानों के ताज हैं। (अलकामिल....8/164)

शुबह का जवाबः ये ह़दीस क़ाबिले इस्तिद्लाल (दलील बनने के लाइक़) नहीं। इसका रावी मुबश्शिर बिन उबैद कूफी (मृत्यु साल 170 हि.) मजरूह (दोषी) है। खुद इब्ने अदी ने इसको वाही (सख़्त कमज़ार) क़रार दिया है और उसकी दस मुन्कर (बहुत कमज़ोर) अह़ादीस ज़िक्र की हैं उनमें से ये ह़दीस भी है।

- ज़हबी लिखते हैंः **तर्जुमा** इब्न अदी ने मुबश्शिर को वाही (सख़्त ज़ईफ) कहा। और उनकी दस मुन्कर अहादीस को ज़िक्र किया है। (तारीख़ुल इस्लाम 4/490)
- खुद इब्न अदी लिखते हैः

तर्जुमाः मैंने इब्राहीम बिन दुहीम को कहते हुए सुना, उन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन औफ को कहते हुए सुना, उन्होंने कहा कि मैंने अहमद बिन हम्बल को फरमाते हुए सुना। मुबश्शिर बिन उबैद हम्स़ में मुक़ीम थे और कूफा (बग़दाद के एक स्थान का नाम) का रहने वाले थे। मेरा ख़्याल है कि इनसे बक़िया ओर अबुल मुग़ीरा ने रिवायत की है। उनको अहादीस मौज़ू, झूट हैं। (अलकामिल 8/161)

- इमाम बुख़ारी ने फरमायाः मुबश्शिर बिन उबैद मुन्करुल ह़दीस थे। (ऐज़न)

- ज़बही ने फरमाया कि मुबश्शिर किराअते कुरान में इश्तिग़ाल (कुरान पढ़ने में मशगूल रहते थे) रखते थे और ज़ब्त ह़दीस (ह़दीस याद करने) से ग़ाफिल हो गए थे। (मीज़ानुल एतेदाल 3/433)
- दारेकुत़्नी ने फरमाया: मतरूक (तारीखुल इस्लाम 4/490)
- इब्ने हब्बान ने कहा: **तर्जमा**- मुबश्शिर बिन उबैद ने सिक़ह रावियों से मौज़ू रिवायात रिवायत की है। उनकी ह़दीस को लिखना हलाल नहीं, मगर ताज्जुब के तौर पर (इकमाल तहज़ीबुल कमाल 11/62)
- अबू हातिम ने कहा: ज़ईफुल ह़दीस।
- जोज़कानी ने कहा: मतरुकुल ह़दीस
- अबू अहमद हाकिम ने कहा: तर्जमा- उनकी ह़दीस दुरुस्त नहीं।
- यह्या बिन मोईन ने ज़ईफ कहा (इकमाल तहज़ीबुल कमाल 11/63)

हासिले कलाम ये है कि ह़दीसे मज़कूर नाक़ाबिले इस्तिनाद है, क्योकि वह मुन्कर बल्कि कुछ नाकेदीन के मुताबिक़ मौज़ू (गढ़ी हुई) है। वहाबी ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम शैख़ अलबानी ने फैज़ुल क़दीर लिलमुनावी के हाशिये में उसको मौज़ू लिखा है। लिहाज़ा इससे ये साबित करना कि नंगे सर नमाज़ पढ़ना बिला कराहत जाइज़ है, दुरुस्त नहीं।

नंगे सर नमाज़ पढ़ना खिलाफे सुन्नत- उलेमा-ए-अहले ह़दीस के अक़्वाल

प्रमुख अहले ह़दीस धर्मगुरू मुहिब्बुल्लाह राश्दी सिंधी का लेख जिसको अहले ह़दीस के तर्जमान साप्ताहिक पत्रिका 'अलएतेसाम लाहौर' ने प्रकाशित किया था फिर बाद में इसे बाज़ाबता किताब की शक्ल में प्रकाशित किया गया है। उसमें वह लिखते हैं: अहादीस की तलाश से मालूम होता है कि आंहजरत सलल्लाहो अलैहि वसल्लम और सहाब-ए-किराम सर पर या तो अमामा बांधे रहते या सर पर टोपियां होती थीं। राकिमुल हुरूफ (लेखक) के इल्म की ह्द तक सिवाये हज व उमरा के कोई ऐसी सहीह़ ह़दीस देखने में नहीं आई जिसमें ये हो कि आंहज़रत सलल्लाहो अलैहि वसल्लम नंगे सर घूमते फिरते (चलते-फिरते) थे या कभी सरे मुबारक पर अमामा वगैरा था, लेकिन मस्जिद में आकर अमामा उतार कर रख लिया और नंगे सर नमाज़ पढ़नी शुरू की। किसी मुह़तरम दोस्त की नज़र में ऐसी कोई ह़दीस हो तो ज़रूर मुस्तफीद किया जाए। (नमाज़ में सर ढांपने का मसला 3,4)

शैख़ बिन बाज़ का फत्वा

प्रसिद्ध अहले ह़दीस धर्मगुरू शैख़ अब्दुल अज़ीज बिन बाज़ से फत्वा पूछा गया।

तर्जुमा: क्या ये जाइज़ है कि मैं नंगे सर बगैर अमामा के जुमा का खुत्बा दूँ और नमाज़ियों की इमामत करूँ? फत्वा से नवाज़ें। अल्लाह आपको बदला (अज्र) देगा।

इसका जवाब देते हुए इब्ने बाज़ लिखते हैं:

तर्जमा: अमामा मुस्तहब है। ये ज़ीनत है अल्लाह का फरमान है:

हर नमाज़ के वक़्त ज़ीनत इख़्तियार करो। अमामा नमाज़ के लिए शर्त नही। लिहाज़ा बग़ैर अमामा के नमाज़ पढ़ी तो ज़रर (नुक्सान) नहीं (फासिद नहीं होगी) एहराम वाला खुले सर नमाज़ पढ़ेगा और सारे एहराम वाले मर्द ऐसा ही करेंगे। अमामा ज़ीनत है। जब बग़ैर अमामा के नमाज़ पढ़े या खुत्बा दे तो खुत्बा सहीह़ और नमाज़ सहीह होगी लेकिन अफज़ल वही है जो हमारे रब जल्ला व अला के इरशाद से साबित होता है। (ऐ आदम की औलाद तुम हर नमाज़ के वक़्त ज़ीनत इख़्तियार करो)। (मजमूआ फतावा बिन बाज़ 30/254)।

शैख़ उसैमीन के फत्वे का तनक़ीदी जायज़ा

अहले ह़दीस वहाबियों के प्रसिद्ध मुफ्ती शैख़ सालेह उसैमीन से सवाल किया गया: **तर्जमा**-क्या इमाम के लिए दुरुस्त है कि लोगों को नंगे सर नमाज़ पढ़ाये? उसके जवाब में लिखते हैं:

तर्जमा: हाँ! इमाम के लिए जायज़ है कि वह लोगों को नंगे सर नमाज़ पढ़ाये, क्योंकि सर को छुपाना नमाज़ की शर्तों में से नहीं। लेकिन इमाम अगर ऐसी कौम में हो जिसकी आ़दत ये हो कि उसके अफराद सर छुपाने का लिबास भी इस्तेमाल करते हों तो इमाम सर को छुपाए। क्योंकि अल्लाह तआला का इरशाद है: "हर नमाज़ के वक़्त ज़ीनत इख़्तियार करो" यहाँ पर ज़ीनत सर के लिबास और बदन के लिबास दोनों को शामिल है। इसी तरह अगर मुक़्तदी या मुन्फरिद (एकेला शख़्स) नन्गे सर नमाज़ पढ़े तो कोई हर्ज नहीं। (मजमूआ फतावा इब्न उसैमीन 17/451)

शैख़ उसैमीन जैसा फत्वा देने का अंदाज़ इख़्तियार करने वाले कुछ अहले ह़दीस आ़लिमों के फत्वों से ही अहले ह़दीस नौजवानों को नंगे सर नमाज़ पढ़ने की छूट मिलती है। चुनान्चे वह नंगे सर नमाज़ पढ़ने की ऐसी आ़दत बना लेते हैं गोया नंगे सर नमाज़ पढ़ना

ही सुन्नत है। शैख़ उसैमीन ने अपने फत्वे में ये नहीं लिखा कि जाइज़ तो है लेकिन मक्रूह, खिलाफे अदब व खिलाफे सुन्नत है। लिहाज़ा नंगे सर नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि जाइज़ लिखा और साथ ही साथ ये भी लिख दिया कि इसमें कोई हर्ज नहीं। जब शैख़ उसैमीन के बक़ौल इसमें कोई क़बाहत (नुक़्सान) नहीं तो अहले ह़दीस माडर्न नौजवान वही कर रहे हैं।

शैख़ उसैमीन ने ये भी लिखा कि लेकिन इमाम अगर ऐसी कौम में हो कि उनकी आ़दत, लिबास से सर ढाँपना हो तो इमाम सर ढाँपकर नमाज़ पढ़ाये। इससे ये लाज़िम आता है कि अगर इमाम ऐसे लोगों में हो जो सर ढाँपने को ज़ीनत न समझते हों बल्कि सर को खुला रखना ही उनके नज़दीक ज़ीनत हो जैसा कि माडर्न नौजवान समझते हैं तो ऐसे लोगों में इमाम को नंगे सर नमाज़ पढ़ाना चाहिए। क्योंकि वहाँ सर खुला रखना ही ज़ीनत है। न जाने ये इज्तिहादी बात शैख़ साहब ने कहा से ढूंढ निकाली है?

शारेअ़ अलैहिस्सलाम और आपके असहाब ने नमाज़ में बल्कि आम हालात में अमामा व टोपी को मुसलमानों के लिए ज़ीनत क़रार दिया है तो बिला किसी तफ़्रीक़ के मुसलमानों के लिए ये ज़ीनत है, उसे इख़्तियार करना चाहिए। विशेष तौर पर हालते नमाज़ में मुसलमानों को ज़ीनत इख़्तियार करने की तरग़ीब दी गई है तो आम हालात में न सही कम से कम हालते नमाज़ में मुसलमानों को टोपी या अमामा पहनना चाहिए। यही नबीये करीम सलल्लाहो अलैहि वसल्लम और सहाब-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की सुन्नत है। चाहे इमाम हो या मुक़्तदी या मुन्फरिद (अकेला)।

लेकिन शैख़ उसैमीन साहब ने ये शोशा कहां से निकाला कि अगर इमाम ऐसे लोगों में हो कि टोपी या अमामा से सर ढाँपना उनकी आ़दत हो तो इमाम को सर ढाँपकर नमाज़ पढ़ानी चाहिए और सर को ढाँपना जिनकी आ़दत न हो उनको नंगे सर नमाज़

पढ़ाना चाहिए। शैख़ साहब के अंदाज़ से तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि अगर उनसे कोई ये सवाल करता कि मैं बग़ैर कुर्ता के सिर्फ पाजामा पहनकर नमाज़ पढ़ाऊं तो जाइज़ है या नहीं? तो शैख़ साहब का जवाब भी शायद यूँ होता:

"हाँ जाइज़ है। क्योंकि सर से लेकर नाफ तक छुपाना नमाज़ के शराइत में से नहीं। हाँ इमाम अगर ऐसे लोगों में हो जिनकी आदत हो कि वह सर और कंधे से लेकर नाफ तक लिबास से छुपाते हैं तो इमाम को कुर्ता पहनकर नमाज़ पढ़ाना चाहिए। अगर बग़ैर कुर्ता के सिर्फ पाजामा पहनकर नमाज़ पढ़े ख़्वाह इमाम हो या मुक़्तदी या मुन्फरिद तो कोई हर्ज नहीं"

अगर किसी के सवाल पर शैख़ उसैमीन साहब का ये फत्वा होता तो शायद अहले ह़दीस की मस्जिदों में नंगे सर नमाज़ पढ़ने वाले नमाज़ियों के दरमियान सिर्फ पाजामा या लुंगी में मलबूस दो चार देहाती अहले ह़दीस भी नज़र आने लगते और धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाती। सच है:

गर हमीं मुफ़्ती हमीं फत्वा कारे इफ़्ता तमाम खाहद शुद

(अगर ऐसा ही फतवा और मुफ्ती हो तो फिर फत्वा का खुदा ही हाफ़िज़ है)

शैख़ अलबानी का फत्वा

नंगे सर नमाज़ पढ़ने की कराहत के मसले में अहले ह़दीस के शैख़ अलबानी, अह़नाफ़ के साथ हैं, इसलिए कुछ उलमा-ए-अहले ह़दीस ने उन पर मलामत की है। इस मसले में शैख़ अलबानी का नज़रिया शैख़ उसैमीन के नज़रिये से अलग है।

शैख़ अलबानी लिखते हैं:

तर्जमा: इस मसले में हमारी राय ये है कि नंगे सर नमाज़ पढ़ना मक्रूह है। क्योंकि ये बात मुसल्लम है कि मुसलमान सबसे

कामिल इस्लामी त़रीके पर नमाज़ मे दाख़िल हो, ये मुस्तह़ब है उस ह़दीस की बिना पर जो किताब में पहले गुज़री। यक़ीनी तौर पर अल्लाह तआला सबसे ज़्यादा इस बात का मुस्तह़िक़ है कि उसके दरबार में ज़ीनत इख़्तियार की जाए और असलाफ के उर्फ में नंगे सर रहना अच्छी हालत नहीं मानी जाती। इसी प्रकार रास्तों में चलना और इबादत की जहगों में नंगे सर दाख़िल होना अच्छा नही। बलिक ये अजनबी हालत बहुत से मुस्लिम देश में उस वक़्त दाख़िल हुई जब कि वहां काफिरों की आमद हुई। वह अपनी बुरी आ़दतें मुस्लिम देशों में खींच लाए और मुसलमान उनके शिष्य हो गए। मुसलमानों ने उन काफिरों की आ़दतों की तक़लीद (अनुकरण) करके अपने इस्लामी व्यक्तित्व को नष्ट कर दिया। तो बाद में आने वाली ये हालत इस लायक़ नहीं कि उसके मुक़ाबिले में पूर्व (इस्लामी) परम्पराओं को छोड़ दिया जाए। किसी भी हाल में उसको नंगे सर नमाज़ प्रारंभ करने के जवाज़ की दलील न बनाया जाए। (फिक़्हुस्सुन्नत-1/164)।

पाठकगण! ज़रा ध्यान से देखें, मशहूर ग़ैर मुकल्लिद अहले ह़दीस आ़लिम शैख़ नासेरुद्दीन अलबानी साहब ये कह रहे हैं कि नंगे सर नमाज़ पढ़ना मक्रूह और इस्लामी परम्परा के खिलाफ है। लेकिन ग़ैर मुक़ल्लेदीन ही के मुफ्ती शैख़ उसैमीन कहते हैं कि नंगे सर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है। इसमें कोई हर्ज नहीं। ग़ैर मुक़ल्लेदीन ही से फैसला त़लब किया जाए कि इनके दोनों मुस्तनद आ़लिमों में से किसकी बात ठीक है?

एक आवश्यक सूचना

कुछ अहले ह़दीस के धर्मगुरूओं की लेखों से विशेष तौर पर नौजवानों को नंगे सर नमाज़ पढ़ने को बढ़ावा मिल रहा है। उलेमा-ए-अहले ह़दीस अपने वहाबी मिशन की तबलीग़ व

इशाअत के लिए ज़्यादा तर अंग्रेज़ी पढ़े लिखे नौजवानों को चुनते हैं, लिहाज़ा वह उन्हें उनकी तबियत और पसंद के मुताबिक शरअ़ी मसाइल बताते हैं। माडर्न नौजवानों को शूट-बूट, टाई में मल्बूस होना और नंगे सर रहना पसंद है, उसी को वह ज़ीनत समझते हैं तो वहाबी उलमा उन्हें ये फत्वा देते हैं कि उसी हालत में नमाज़ पढ़ना जाइज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं, जैसा कि शैख उसैमीन के फत्वे से ज़ाहिर है।

इसका परिणाम यह हो रहा है कि अहले ह़दीस नौजवानों के बहकावे में आकर कुछ नावाक़िफ़ सुन्नी नौजवान भी नंगे सर नमाज़ पढ़ना पसंद करते हैं और मस्जिदों में नंगे सर नमाज़ पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि यही हाल कुछ दिनों रहा तो अहले ह़दीस मस्जिदें चर्च और गिर्जाघर का मंज़र पेश करती नज़र आएंगी शायद इस ख़तरे को महसूस करते हुए ग़ैर मुक़्कलेदीन के मुहद्दिस शैख़ अलबानी ने नंगे सर नमाज़ पढ़ने की कराहत को बड़े सख़्त अन्दाज़ में बयान किया है, जैसा कि ऊपर लिखा गया। लेकिन शैख़ अलबानी के समूह ही के कुछ अतिवादी उलमा ने शैख़ अलबानी को भी नहीं छोड़ा ओर उनपर हनफी होने का फत्व लगा दिया हांलाकि हनफी होना अहले ह़दीस वहाबी उलमा के यहाँ मुश्रिक होने के समान है। अल्लाह की पनाह।

ऐसे कठिन परिस्थति में विशेष तौर पर नौजवानों से आग्रह है कि वह और समय में न सही कम से कम नमाज़ के वक्तों में पूरे लिबास में मस्जिद में आएं और ऐसे वस्त्र के साथ नमाज़ पढ़े जिससे उनकी नमाज़ें मक्रूह न हों। अगर शर्ट व पैंट हो तो इतने चुस्त व तंग और बारीक न हों कि शरीर का कोई अंग दिखे। कुछ नौजवान ऐसी शर्ट और पैंट इस्तेमाल करते हैं कि रुकूअ व सजदे में जाते हैं तो कमर से नीचे का कुछ अंग जो सुरीन से मिला

होता है, ज़ाहिर हो जाता है हालांकि नाफ (नाभी) के नीचे का हिस्सा कमर, सुरीन को ढाँपना नमाज़ सहीह होने के लिए शर्त है। कुछ लोग टख़नों से नीचे लटकने वाली पैंट पहनकर नमाज़ पढ़ते हैं। हालांकि उससे नमाज़ मक्रूह होती है। कुछ लोग टख़नों से नीचे वाले हिस्से को नमाज़ पढ़ते वक़्त समेटकर ऊपर कर लेते हैं और समझते हैं कि इससे कराहत समाप्त हो गई, हांलाकि कपड़ा मोड़कर नमाज़ पढ़ना भी कराहत से ख़ाली नहीं।

मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि इस तरह के फैशन वाले वस्त्र वास्तव में फिरिंगियों का अविष्कार है जिसका मक़्सद मुसलमानों को उनकी इस्लामी सभ्यता व लिबास से दूर करना और उनकी इबादतों को नाक़िस़ व बेसवाब बनाना है।

कुछ नौजवान ऐस टीशर्ट पहनते हैं और पहन कर नमाज़ पढ़ते हैं जिनमें जानदार की तस्वीर होती है, कुछ में गैर जानदार की लेकिन यहूद व नसारा की कलीसा व गिर्जा वग़ैरा की तस्वीर होती है, कुछ में गैर मुहज़्ज़ब जुम्ले लिखे होते हैं और नौजवान नादानी में ऐसी शर्ट पहनकर मस्जिदों में आते है और उसी लिबास में नमाज़ पढ़ते हैं। उससे मुसलमानों को सख़्त परहेज़ करने की आवश्यकता है। इस प्रकार का वस्त्र पहनकर मसिजद में आना ही नहीं चाहिए चेजाए कि उसमें नमाज़ अदा की जाए।

अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है:

तर्जमा: ऐ आदम की औलाद हर नमाज़ के वक़्त अपनी ज़ीनत इख़्तियार करो और खाओ पियो और फुजूलखर्ची न करो वास्तव में वह (अल्लाह) फुजूलखर्ची करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है।

अल्लाह तआला ने हर नमाज़ के वक़्त ज़ीनत इख़्तियार करने का हुक्म दिया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल है कि ज़ीनत से मुराद वस्त्र है (दुर्रे मंसूर 31/154)

इमाम ताउस ताबई ने अमामा को ज़ीनत वाले लिबास में माना है और टोपी अमामा की मंज़िल में है। लिहाज़ा टोपी भी ज़ीनत वाले लिबास में शामिल है।

नंगे सर नमाज़ पढ़ना चारों मज़ाहिब में मक्रूह है

अहनाफ का मज़हबः

अल्लामा बुरहानुद्दीन महमूद बिन अहमद माजा बुख़ारी हनफी (देहान्त 616 हि.) ने लिखा हैः

तर्जमाः अगर सर छुपाने का लिबास हो फिर भी लापरवाही की वजह से नंगे सर नमाज़ पढ़े तो मक्रूह है और आजिज़ी और विनम्रता के लिए हो तो मुस्तहब है। (मुहीते बुरहानी-5/310)।

अल्लामा ज़ैनुद्दीन इब्ने नुजैम मिस्री (देहान्त वर्ष 970हि.) ने लिखा हैः

तर्जमाः अगर एक लुंगी में नमाज़ पढ़ी तो हो जाएगी मगर मक्रूह होगी। इसी तरह बगैर किसी शरई कारण के सिर्फ पाजामा में नमाज़ पढ़ी तो मक्रूह होगी और इसी तरह सुस्ती व काहिली की वजह से नंगे सर नमाज़ पढ़ी तो मक्रूह होगी। (बहरे राइक़ 2/27)।

उसी में ज़ख़ीरा के हवाले से हे।

तर्जमाः तो शैख़ (जो ह़दीस में है) का मलतब ये है कि लम्बे कपड़े को इस तरह पहनना कि उसके कुछ हिस्से को सर पर रखे और कुछ को दोनों कंधों पर और पूरे बदन पर रखे। (ऐज़न)

अल्लामा त़ह़त़ावी (देहान्त वर्ष 1231 हि.) ने फरमायाः

तर्जुमाः नंगे सर नमाज़ पढ़ना मक्रूह है। क्योंकि इसमें वक़ार को छोड़ना है। (यानी घटिया हालत में नमाज़ पढ़ना है) (हाशिया तहतावी-1/359)

मालिकियों का मज़हबः

मालकिया के नज़दीक भी टोपी या अमामा के साथ नमाज़ पढ़ना मसनून है, और नंगे सर पढ़ना मकरूह है। अबुल वलीद मोहम्मद रुश्द मालिकी, (देहान्त सन् 250 हि.) नमाज़ में अमामा या टोपी के इस्तेहबाब को बयान करते हुए लिखते हैंः

तर्जमाः नमाज़ी अपने रब से हम कलाम होता है और अपने रचयिता के सामने खड़ा होता है लिहाज़ा वह इस बात का ज़्यादा हक़दार है कि तुम उसके सामने ज़ीनत इख़्तियार करो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खादिम को देखा वह बग़ैर चादर के नमाज़ पढ़ रहा था तो आपने उससे फरमायाः तेरा क्या ख़्याल है अगर मैं तुझे बाज़ार भेजता तो क्या इसी हालत में चला जाता? उसने कहाः नहीं। आपने फरमायाः अल्लाह उस आदमी से ज़्यादा हक़दार है जिसके लिए तुम जमाल (खुबसूरती) इख़्तियार करते हो (अलबयान वत्तहसील 17/19)

अल्लामा क़राफी मालकी लिखते हैंः

तर्जमाः किताब (अल मुदव्वना) में फरमायाः मेरे नज़दीक पसंदीदा ये है कि मुसल्ली अमामा के किनारे को पेशानी से हटाए ताकि सजदे में पेशानी का कुछ हिस्सा ज़मीन पर लगे। (ज़ख़ीरा 2/196)

शाफिईयों का मज़हब

शवाफे का मज़हब भी यही है कि बिला किसी उज़्र के नंगे सर नमाज़ पढ़ना खिलाफे सुन्नत, मक्रूह हैः

अल्लामा शम्सुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद ख़तीब शाफई, देहान्त 977 हि. लिखते हैंः

तर्जमाः मर्द के लिए मस्नून है कि नमाज़ के लिए अपने खूबसूरत कपड़े पहने। कमीज, अमामा, टोपी या चादर एज़ार (लूंगी) या पाजामा पहने (मुग्नी.....1/400)

अल्लामा दम्याती शाफई लिखते हैं:

तर्जमा: यानी आदतन जिस लिबास से जमाल इख़्तायार किया जाता है उसको पाबंदी से नमाज़ में पहने। अगर्चे दो से ज़ाएद हों (एआनतुत्तालेबीन 1/135)

हंबलियों का मज़हब:

फिक़्हे हंबली की प्रसिद्ध किताब अलउद्दह शरह उम्दा के मुहश्शी शैख़ उसामा अली मोहम्मद सुलेमान लिखते हैं:

तर्जमा: हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल है कि नमाज़ में सर को ढापना उसकी ज़ीनत में से है। असलाफ में से किसी ने दूसरे से कहा: क्या तुम पसंद करते हो कि लोग तुमको नंगे सर देखें तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। तो उन्होंने फरमाया: तुम्हारा रब इस बात का ज़्यादा हक़दार है कि तुम उसके सामने ज़ीनत इख़्तियार करो। (तालीक़ अलल उद्दत शरह उम्दा 50/12)